न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश (समक्षः—डी०सी० थपलियाल)

<u>प्र0क0 47 / 2015 अ0फी0</u> संस्थिति दिनांक 23.07.2015

राजेशिसंह पुत्र सियाराम गुर्जर, उम्र 31 वर्ष। निवसी देविसंह का पुरा थाना गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0।अपीलार्थी/आरोपी

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद, तहसील गोहद जिला भिण्ड म०प्र०।प्रतिअपीलार्थी / अभियोगी

अपीलार्थी द्वारा श्री के०पी०राठौर अधिवक्ता प्रत्यर्थी राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर ए०पी०पी० न्यायालय श्री गोपेश गर्ग, जे०एम०एफ०सी० गोहद द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 845/2008 में निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक 29–06–2015 से उत्पन्न दाण्डिक अपील क्रमांक 46/2015

/ / नि र्ण य / /

(आज दिनांक 20—10—2016 को घोषित किया गया)

- 01. अपीलार्थी / आरोपी की ओर से प्रस्तुत दांडिक अपील अंतर्गत धारा 374 द.प्र.सं. का निराकरण किया जा रहा है, जिसमें कि अपीलार्थी ने न्यायिक दंण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद पीठासीन अधिकारी— श्री गोपेश गर्ग के द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 845 / 2008 ई.फौ. आरक्षी केन्द्र गोहद वि० राजेशसिंह में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 29.06.2015 से व्यथित होकर पेश किया है, जिसमें अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी / आरोपी को धारा 457 भाठदंठवि० के तहत दोषी पाते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 / रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है एवं अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 01 माह के अतिरिक्त कारावास भुगताए जाने का आदेश दिया गया है।
- 02. अधीनस्थ न्यायालयं के समक्ष अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि दिनांक 25.09.2008 को फरियादी अपने गोहद इटायली गेट स्थित मकान में परिवार के साथ सो रहा था प्रातः चार बजे सामान गिरने की आवाज आई तो उसकी नींद खुल गई तो देखा कि एक लडका मकान में घुसा है उसे पकड और चोर चोर चिल्लाया तो पडोस के मकान

से उसका भाई अनिल भी आ गया। आरोपी को प्रकड़कर उसका नाम पूछा। आरोपी को फरियादी व अन्य लोग जानते थे। घटना की सूचना थाने पर दी तब थाना प्रभारी अमरनाथ वर्मा द्वारा घटनास्थल पर आकर देहातीनालसी लेखबद्ध की गई तथा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। थाने पर जाकर असल अपराध कायम किया गया। प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध विचारण हेतु अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।

- 03. अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 457, 380 / 511 भा0दं0वि0 के संबंध में अरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया आरोपी ने जुर्म अस्वीकार किया उसकी प्ली लेखबद्ध की गई।
- 04. अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य उपरांत अभियुक्त परीक्षण कर एवं अंतिम तर्क सुने जाकर दिनांक 29.06.2015 को प्रश्नाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें कि आरोपी को धारा 380/511 भा०दं0वि० के आरोप से दोषमुक्त किया गया जबकि धारा 457 भा०दं0वि० में कंडिका 01 में दर्शाए गए दण्डादेश के अनुसार दंण्डित किया गया।
- 05. अपीलार्थी / आरोपी के द्वारा वर्तमान अपील मुख्य रूप से इन आधारों पर पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन निर्णय विधि विधान के विपरीत है। अभियोजन साक्षियों के कथनों में तात्विक प्रकार के विरोधाभास एवं विसंगतियाँ आई है जिन पर कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचार न करते हुए मात्र साक्षियों के मुख्य परीक्षण को देखते हुए आलौच्य निर्णय पारित किया गया है। जबिक फरियादी का भाई जो कि उसके मकान के बगल से रहता है वह पक्षद्रोही रहा है उसके द्वारा अभियोजन कहानी का कोई समर्थन नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के संबंध में तथा प्रतिपरीक्षण में आए हुए तथ्यों पर सूक्ष्मतः परीक्षण किए बिना प्रश्नाधीन निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित दोषसिद्ध व दण्डादेश को अपास्त करते हुए आरोपी को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया है।
- 06. राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अधीनस्थ न्यायालय के दोषसिद्ध दण्डादेश को उचित रूप से पारित किया जाना बताते हुए उसमें किसी प्रकार हस्तक्षेप अथवा फेरबदल करने का कोई आधार न होना बताते हुए अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत वर्तमान अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।
- 07. अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अपील के संबंध में मुख्य रूप से विचारणीय यह है कि—

क्या अधीनस्थ विचारण न्यायालय का दोषसिद्ध आदेश एवं दण्डादेश दिनांक 29.06.2015 स्थिर रखे जाने योग्य न होकर अपास्त किए जाने योग्य है?

::- निष्कर्ष के आधार-::

- 08. अपीलार्थी / आरोपी अधिवक्ता ने अपने तर्क में मुख्य रूप से यह व्यक्त किया है कि आरोपी के द्वारा कोई अपराध कारित करने के आशय से प्रवेश किया हो ऐसा कहीं भी विचारण न्यायालय के द्वारा प्रमाणित होना नहीं पाया गया है और उसे धारा 380 / 511 भा0दं0वि0 के आरोप से दोषमुक्त किया गया है। ऐसी दशा में जबकि आरोपी को किसी अपराध कारित करने के आशय से घर के अंदर प्रवेश किया जाना नहीं पाया गया है तो उसके विरूद्ध धारा 457 भा0दं0वि0 के अंतर्गत अपराध की प्रमाणिता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा यह भी व्यक्त किया गया कि अभियोजन साक्षियों के कथनों का समर्थन किसी भी स्वतंत्र साक्षियों से नहीं होता है और न ही विवेचना की कार्यवाही विवेचना अधिकारी के द्वारा प्रमाणित की गई है। प्रकरण में फरियादी के द्वारा आरोपी से राजीनामा भी किया गया है जो कि राजीनामा प्रकरण में संलग्न है। इसके अतिरिक्त उन्होंने व्यक्त किया कि आरोपी पूर्व में निरोध में रह चुका है।
- 09. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। इस संबंध में प्रकरण में आई हुई साक्ष्य पर पुनर्विचार किया जाना उचित होगा।
- 10. घटना के फरियादी विजयकुमार अ0सा0 1 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में यह बताया है कि रात के तीन साढे तीन बजे के घर में खट पट की आवाज होने पर उसके देखने पर उसके मकान में एक लड़का घुसा हुआ दिखा था और उस लड़के को उसने पकड़ लिया था और वह चिल्लाया तो उसके पड़ोस के अनिल कुमार गुप्ता और अन्य लोग आ गये थे। पकड़े गये लड़के से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम राजेश बताया था। फिर पुलिस को बुलाया था, पुलिस ने लिखापढी कर देहातीनालसी प्र.पी. 1 लेखबद्ध की थी और उस लड़के को पुलिस वाले पकड़कर ले गए थे। नक्शामौका प्र.पी. 2 का भी पुलिस ने बनाया था जिस पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है। आरोपी राजेश की पहचान भी साक्षी के द्वारा की गई है।
- 11. फरियादी विजय कुमार अ0सा0 1 के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों का जहाँ तक प्रश्न है, प्रतिपरीक्षण में साक्षी बताया है कि पुलिस उसके सामने ही आरोपी को पकड़कर ले गई थी। यद्यपि साक्षी के द्वारा आरोपी को घटना के पहले से पहचानने के संबंध में उसके द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 में तथा पुलिस कथन प्र.डी. 1 में विरोधाभास आया है, किन्तु यह स्पष्ट है कि आरोपी को घटनास्थल पर ही पकड़ लिया गया था और घटनास्थल पर ही फरियादी के द्वारा उससे नाम पूछा गया था। यह भी उल्लेखनीय है कि आरोपी की पहचान न्यायालय में भी साक्षी के द्वारा स्पष्ट रूप से की गई है। इसके अतिरिक्त फरियादी विजयकुमार के द्वारा प्रतिपरीक्षण में रिपोर्ट पर 11 बजे थाने में हस्ताक्षर करना बताया है और रिपोर्ट पर दस्तखत कराने के संबंध में साक्षी थाने वा उस्तखत करना कह रहा है,

फिर यह कह रहा है कि घर पर ही कराए होगें। किन्तु इस संबंध में बिक देहातीनालसी रिपोर्ट प्र.पी. 1 का दस्तावेज मौजूद है जिसमें कि प्रथम सूचना रिपोर्ट सुबह 04:41 बजे लिखा जाना स्पष्ट रूप से और आरोपी की गिरफ्तार भी प्र.पी. 3 के अनुसार 05:30 बजे घटनास्थल पर ही की गई है। ऐसी दशा में रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने के संबंध में यदि साक्षी के कथन में जो कि घटना घटित होने के दो साल से भी अधिक समय उपरांत हुआ है कोई विपरीत तथ्य बताया भी जा रहा है तो इससे उसके सम्पूर्ण साक्ष्य कथन की विश्वसनीयता प्रभावित नहीं होती है।

- फरियादी के उक्त कथन की पुष्टि साक्षी अनिल कुमार अ०सा० 2 के कथन से 12. भी होती है। उसके भाई के द्वारा उसे बुलाए जाना और उसके पहुँचने पर उसके भाई के द्वारा आरोपी को पकड़े होना देखना व पुलिस को सुचना करने पर पुलिस के वहाँ आने और आरोपी को गिरफ़तार कर गिरफ़तारी पंचनामा प्र.पी. 3 बनाया जाना बताया है। उक्त साक्षी रिपोर्ट साढे चार बजे के लगभग लिखाई गई होना बता रहा है। साक्षी भी घटना दिनांक से आरोपी को पहचानना बताया है। साक्षी के कथन भी आरोपी को घटना के पहले से पहचानने के सबधं में विरोधाभासी है, किन्तु मात्र इस आधार पर उसके सम्पूर्ण कथन अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार साक्षी अनिल कुमार के कथन के आधार पर भी घटना दिनांक को आरोपी के रात्रि के समय घर पर मौजूद होने की पुष्टि होती है।
- आरोपी को किसी रंजिश के कारण घटना में झूठा लिप्त किया जा रहा हो ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रकरण में बचाव पक्ष के द्वारा पेश नहीं किया गया है और न ही इस आशय का कोई सुझाव अभियोजन साक्षियों को दिया गया है। ऐसी दशा में आरोपी को घटना में झूठा लिप्त किया जा रहा हो ऐसा मानने का कोई आधार नहीं है
- प्रकरण के प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक एवं अनुसंधान अधिकारी के कथन न कराने का जहाँ तक प्रश्न है, मात्र इस आधार पर कि अभियोजन के द्वारा उनका परीक्षण नहीं कराया गया है, जबिक प्रकरण में मौजूद अभियोजन साक्ष्य के आधार पर घटना दिनांक को आरोपी के फरियादी के निवासी मकान के अंदर प्रवेश कर मौजूद होने की पुष्टि होती है जो कि रात्रि के समय घर के अंदर उसकी मौजूदगी होनी स्पष्ट है।
- यद्यपि प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के आधार पर आरोपी के द्वारा चोरी करने का कोई प्रयत्न करने या चोरी किये जाना हेतु कोई कृत्य किया जना प्रमाणित नहीं पाया गया है। और इस आधार पर विचारण न्यायालय के द्वारा उसे धारा 380 / 511 भा0दं0वि0 के आरोप से दोषमुक्त किया गया है, किन्तु आरोपी जो कि घर के अंदर प्रवेश किया है और वहाँ मौजूद रहा है जो कि सुबह के तीन साढ़े तीन बजे के समय अर्थात् सूर्यअस्त के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व घर के अंदर उसके द्वारा प्रवेश किया गया है। आरोपी का कृत्य कारावास से दण्डनीय

अपराध का रात्रि प्रछन्न ग्रअतिचार की श्रेणी जो कि धारा 457 भा0दं०वि० के अंतर्गत नहीं आता है। तदापि आरोपी का कृत्य जो कि रात्राप्रछन्न गृअतिचार की कोटि में आता है जो कि धारा 453 भा0दं०वि० के अंतर्गत दण्डनीय है प्रमाणित पाया जाता है।

- 16. उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय के द्वारा प्रकरण में आई हुई साक्ष्य पर विचार करते हुए जो निष्कर्ष निकाला गया है। यद्यपि आरोपी के द्वारा प्रछन्न गृअतिचार कारित करने का तथ्य प्रमाणित होता है, किन्तु कारावास से दण्डनीय अपराध कारित करने के आशय से उसके द्वारा रात्रि प्रछन्न गृअतिचार कारित किया गया हो यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है।
- 17. तद्नुसार विचारण न्यायालय के द्वारा दी गई फाइंडिंग जिसमें कि आरोपी को धारा 457 भावदंविव हेतु उसे दोषसिद्ध पाते हुए दण्डादेश दिया गया है वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है उसे अपास्त करते हुए आरोपी को धारा 453 भावदंविव हेतु दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
- 18. आरोपी को दिए गए दण्डादेश का जहाँ तक प्रश्न है, प्रकरण में फरियादी केद्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा भी पेश किया गया है। यद्यपि उक्त धारा 453 भा0दं0वि0 का अपराध राजीनामा योग्य अपराध नहीं है, किन्तु आरोपी पूर्व में दिनांक 25.09.2008 से 13.10.2008 तक न्यायिक निरोध में रहा है और वर्ष 2008 से विचारण का सामान कर रहा है और नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित हो रहा है। ऐसी दशा में उसके द्वारा पूर्व में न्यायिक निरोध में बिताई गई अवधि एवं 500/— रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया जाना उचित होगा। आरोपी के द्वारा अर्थदण्ड की राशि जो पूर्व में जमा की गई है उसे समायोजित किया जाए।
- 19. तद्नुसार अपीलार्थी / आरोपी की ओर से प्रस्तुत वर्तमान अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आरोपी को विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 / रूपए के अर्थदण्ड की सजा को अपास्त करते हुए उसे पूर्व में बिताई गई न्यायिक निरोध अविध एवं 500 / रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किये जाने का आदेश दिया जाता है। 20. आदेश की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख बापस किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(डी०सी०थपलियाल) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड

(डी०सी०थपलियाल) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड